उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास, अनुभाग–3
संख्या–4637 / 9–3–2012–75डब्लू / 2012
लखनऊ: दिनॉक: 08 दिसम्बर, 2012

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर–व्यवस्था अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–43, सन् 1975) की धारा 27क के साथ पठित धारा 96 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जलकल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1996 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जलकल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2012

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1)यह नियमावली उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जलकल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2012 कही जायेगी।

(2) यह उत्तर प्रदेश के समस्त जल संस्थानों पर लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत होगी।

नियम–21 का संशोधन

2– उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जलकल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1996 में, नियम 21 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उप नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम, रख दिया जायेगा, अर्थात:–

स्तम्भ–1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(1) "पदोन्नति द्वारा भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से उसी केन्द्रीयित सेवा के ठीक निम्न पद क्रम के सभी पात्र अधिकारियों में से ज्येष्ठता के आधार पर, किन्तु अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये की जायेगी, और इस प्रयोजन के लिए अधिकारियों की एक पात्रता सूची उप नियम(2) में दी गयी रीति में तैयार की जायेगी। परन्तु किसी महाप्रबन्धक, या नगर अभियन्ता(जल) के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, योग्यता के आधार पर की जायेगी।	(1) केन्द्रीयित सेवाओं में, पदोन्नति के विभिन्न श्रेणियों के पदो पर भर्ती उपनियम(2) में दी गयी रीति के अनुसार अधिकारियों की पात्रता सूची तैयार कर निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगीः– (क) सहायक अभियन्ता (जल)– मौलिक रूप से नियुक्त अवर अभियन्ताओं में से, चयन समिति के माध्यम से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर, पदोन्नति द्वारा। (ख) अधिशासी अभियन्ता (जल)– मौलिक रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं में से, चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर, पदोन्नति द्वारा। (ग) महाप्रबन्धक या नगर अभियन्ता (जल)– मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी अभियन्ताओं में से, चयन समिति के माध्यम से, योग्यता के आधार पर, पदोन्नति द्वारा।

3. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम–26 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम, रख दिया जायेगा, अर्थात:–

नियम–26 में संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम–26 केन्द्रीयित सेवा से किसी पद पर ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जायेगी, किन्तु यदि दो या अधिक अभ्यर्थी एक ही दिनांक को नियुक्त किये जायें, तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम से अवधारित की जायेगी, जिस क्रम में उनके नाम नियम–20 और 21 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों।	**नियम–26** केन्द्रीयित सेवाओं में, किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

आज्ञा से,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

Uttar Pradesh Shasan

Nagar Vikash Anubhag-3

In pursuance of the provisions of clause(3) of Article 348 of the Constittution, the Governor is pleased to order publication of the following English translation of notification no. 4637 /IX-3-2012-75W/2012 dated: 08 December , 2012.

Notification

No. 4637 /IX-3-2012-75W/2012

Lucknow, Dated: 08 December 2012.

In exercise of the powers under section 96 read with section 27A of the Uttar Pradesh Water Supply and Sewetage Act, 1975, (U.P Act no. 43 if 1975) the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Palika and Jal Sansthan Water Works Engineering (Centralised) Services Rules, 1996.

THE UTTAR PRADESH PALIKA AND JAL SANSTHANS WATER WORKS ENGINEERING (CENTRALISED) SERVICES (SECOND AMENDMENT) RULES, 2012.

Short title, scope and commencement

1. (1) These rules shall be called the Uttar Pradesh Palika and Jal Sansthan Water Works Engineering (Centralised) Services(Second Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall be applicable to all the Jal Sansthans in Uttar Pradesh.

(3) They shall come into froce with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of rule 21

2. In the Uttar Pradesh Palika and Jal Sansthan Water Works Engineering (Centralised) Services Rules, 1996 hereinafter referred to as the said rules in rule 21 for the existing sub-rule(1) set out in Column-1 below the sub-rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-

Column-I **Exitsting sub rule**	**Column-II** **Sub-rule as hereby substituted**
(1)- Recruitment by promotion shall be made through a Selection Committee on the basis of seniority subject to rejection of unfit form amongst all eligible officers of the next lower grade of the same Centralised Service and for this purpose an eligibility list of officers shall be prepared in the manner laid down in sub-rule(2). Provided that recruitment by promotion to the post of a General Manager or Nagar Abhiyanta(jal) shall be on the basis of merit.	(1)- Recruitment to the various categories of the promotional posts in the Centralised Services shall be made from the following sources, by prepariing an eligibility list of the officers in the manner laid down in sub-rule(2): (a) Assitant Engineer (Jal)- By Promotion through the selection committee from amongst substantivly appointed junior Engineers, on the basis of seniority Subject to the rejection of the unfit. (b) Executive Engineer (Jal)- By Promotion through the selection committee from amongst substantivly appointed Assistant Engineers, on the basis of seniority Subject to the rejection of the unfit. (c) General Manager or Nagar Abhiyanta (Jal)- By promotion through the selection committee from amongst, substantivly appointed, Executive Engineers, on the basis of Merit.

Amendment in rule 26

3. In the said rules, for existing rule-26 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-

Column-I **Exitsting rule**	**Column-II** **Rule as hereby substituted**
Rule 26- Seniority on a post in the Centralised Services shall be determined by the date of substantive appointment provided that if two or more candidates are appointed from the same date, their seniority shall be determined according to the order in which their names appear in the list prepared under rules 20 and 21.	Rule 26- The seniority of persons substantively appointed in any category of posts in the Centralised services shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.

By order,

(Pravir Kumar)
Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–3
संख्या– 4656 /9–3–2012–75डब्लू/12
लखनऊ: दिनॉक: 08 दिसम्बर, 2012

दिनांक 08 दिसम्बर, 2012 को प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जलकल अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2012" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
4. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5. समस्त महाप्रबंधक (जलकल), नगर निगम, उ0प्र0।
6. महाप्रबंधक, झांसी डिवीजन, जल संस्थान, झांसी।
7. महाप्रबंधक, चित्रकूट धाममण्डल, जल संस्थान, बांदा।
8. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
9. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को दिनांक 08 दिसम्बर, 2012 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कर उसकी 250 प्रतियां नगर विकास अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, नगर विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।